न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 190 / 2021	2021 / 491	20.10.2021	19.09.2022

–उनवान–

1. सुरेन्द्र पुत्र छोटेलाल
2. शिवचरण पुत्र छोटेलाल जातियान जाट निवासीयान ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

3. छोटेलाल पुत्र जंगली राम
4. कलूराम पुत्र छोटेलाल जाति जाट निवासीयान् हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–असल अप्रार्थीगण

5. दीनदयाल पुत्र छोटेलाल जाति जाट निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
6. तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री राहुल यादव **–वकील प्रार्थीगण**

02. श्री तेजसिंह **–वकील अप्रार्थी सं0 1**

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान सुरेन्द्र वगै0 बनाम छोटेलाल वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद सुरेन्द्र वगै0 बनाम छोटेलाल वगै0 विचाराधीन है। अप्रार्थीगण उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से बैजा तौर पर मिला हुआ है जो पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में सीधे ही जाते है। न्यायालय के कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण को अलग तारीख पेशी बताते है तथा अप्रार्थीगण को अलग तारीख पेशी बताई जाती है जिससे प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। असल अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को दिनांक 15.10.2021 को सम्पर्क कर बताया कि पीठासीन अधिकारी से उनकी साठ गाठ हो गयी है। अब वे मुकदमें साज बाज होकर निर्णय को प्रभावित करेंगे। जिससे प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र में अंकित तथ्य बेबुनियाद, झूठे एवं मनगढंत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विचाराधीन प्रकरण में नजदीक–नजदीक तारीख दी जाकर प्रदत्त नियमों के तहत विधिवत् सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया हुआ है। जिसमें जवाब आना है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं कर बैजा तौर पर पत्रावली में देरी की नियत से प्रा0पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रा0पत्र खारिज फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दु बेबुनियाद, मनगंढत, झूठे एवं गलत है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 पेश किया हुआ है। जिसमें जवाब आना है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं कर बैजा तौर पर प्रा0पत्र पेश किया गया है। मुन्तकिल पेश होने के कारण आदिनांक तक कोई आदेश पारित नहीं किये जा सके है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र मुंतकिल करने के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत भी पेश नहीं किये गये है। प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)